

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2018/

दिनांक:

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

राजकीय कार्यालयों में एन0आर0एच0एम0 संविदा कर्मियों के हड़ताल रहने व कार्य की अधिकता के कारण प्रभारी आन्तरिक जांच दलों से प्राप्त पत्रों एवं दूरभाष पर की गई वार्ता के आधार पर पूर्व में जारी अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री बालूराम जाट, AAO I मो० नं० 9414605370 दल सदस्य श्री जितेन्द्र, लूणूक० लेखाकार जो-बीकानेर प्रथम	मुख्य चिकि० एवं अधि०, रतनगढ़, चूरू	04/10 से 03/17	26.10.17 से 15.11.17	21.11.17 से 30.11.17
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधि०, तारानगर, चूरू	04/11 से 03/17	07.12.17 से 29.12.17	19.12.17 से 10.01.18
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधि०, राजगढ़, चूरू	04/11 से 03/17	11.01.18 से 29.01.18	11.01.18 से 31.01.18
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चूरू	04/11 से 03/17	30.01.18 से 20.02.18	02.02.18 से 23.02.18
		सा० स्वा० के०, अनुपगढ़, श्रीगंगानगर	04/11 से 03/17	21.02.18 से 20.03.18	24.02.18 से 26.03.18
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अनुपगढ़	04/10 से 03/17	21.03.18 से लगातार	27.03.18 से 21.04.18
2.	श्री सुरेश कुमार शर्मा, AAO I जो० जयपुर प्रथम मो० 9829918072 द० स० श्री सुनिल झंगिणिया, क० लेखा०	राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा, जयपुर	प्रारम्भ से 03/18	17.04.18 से 10.05.18	17.04.18 से 31.05.18
3.	श्री राजेन्द्र कुमार, AAO I जो०-जयपुर मो० 9829915346 दल सदस्य श्री राकेश कुमार चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू	प्रारम्भ से 03/18	10.04.18 से 10.05.18	10.04.18 से 25.05.18

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे:—

Sd

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 16-5-2018

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2017/ 632-36

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर व बीकानेर।
4. श्री बालूराम जाट, AAO I व दल सदस्य श्री जितेन्द्र, लूणूक० लेखाकार जोन-बीकानेर प्रथम, श्री सुरेश कुमार शर्मा, AAO I जोन जयपुर प्रथम मो० 9829918072 दल सदस्य श्री सुनिल झंगिणिया, क० ले० व श्री राजेन्द्र कुमार, AAO I जो०-जयपुर दल सदस्य श्री राकेश कुमार चौधरी, क० ले०।
5. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

21

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर